न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 59/2017/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
तारीख दायराः 31.5.17
अन्तर्गत धाराः 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

1. जसवन्तसिंह आत्मज नन्दसिंह जाति राजपूत
2. बजरंग सिंह आत्मज नन्दसिंह जाति राजपूत
   निवासीगण दुडकली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा–राज0।

...अपीलांट

बनाम

1. नन्दसिंह आ0 इन्द्रसिंह राजपूत मृतक कायम मुकामान –
   1/1– मनोहर कंवर पत्नी स्व0 नन्दसिंह
   1/2– भंवरसिंह पुत्र नन्दसिंह
   1/3– अजराज सिंह पुत्र नन्दसिंह
   1/4– भगवान सिंह पुत्र नन्दसिंह
   1/5– राजेन्द्र सिंह पुत्र नन्दसिंह
   1/6– चरण सिंह पुत्र नन्दसिंह
   1/7– पुष्पकंवर पुत्री नन्दसिंह
   जति राजपूत निवासीगण दुडकली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा–राज0।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री जितेन्द्रनामा अभिभाषक अपीलांट
श्री मनोज कुमार मंत्री अभिभाषक रेस्पो01/1 लगायत 1/6
श्री संजय पाटोदी अभिभाषक रेस्पो0 1/7

:::निर्णय:::

दिनांक 24.9.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 102/2016 बउनवान नंदसिंह मृतक कायम मुकामान मनोहर कंवर वगेरा बनाम जसबंत सिंह वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 12.4.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 एलआरएक्ट मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि नंदसिंह मृतक कायम मुकामान मनोहर कंवर वगेरा द्वारा इंतकाल सं0 440 दिनांक 27.6.2010 ग्राम सारनखेडी के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर नामान्तरकरण को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.4.2017 को अपील स्वीकार कर आदेश ग्राम पंचायत मदनुपरा द्वारा दिनांक 27.6.2010 को पारित नामा0 सं0 440 ग्राम सारनखेडी को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उपरोक्त विवेचन तथा बिन्दू सं0 1 से 4 को दृष्टिगत रखतेहुये पक्षकारों को सुनवाई तथा तथ्य प्रस्तुत करने के पयाप्त अवसर देकर नवीन सिरे से निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त विवेचित निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट जसवन्त सिंह वगेरा द्वारा अपील अन्तर्गत

धारा 76 एलआरएक्ट मे न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के पिता नन्दसिंह के नाम ग्राम सारनखेडी मे ख0 नं0 227 मिन की 8 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही है जो उनको दिनांक 25.6.76 को आवंटन हुई। अपीलांट नन्दसिंह जी के वारिसान है अन्य कोई वारिस नही है उनकी मृत्यु उपरांत नामा0 सं0 440 सही रूप से तस्दीक किया गया। रेस्पो0 ने अपने आपको नन्दसिंह बताकर उक्त नामा0 के खिलाफ अपील अधीनस्थ न्यायालय के यहा पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर नामा0 सं0 440 को खारिज कर दिया तथा मृतक नन्दसिंह के वारिसान की जांच कर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु प्रकरण को रिमांड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय संचिका मे प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है क्योंकि नामा0 सं0 440 सही रूप से अपीलांट/वारिसान के नाम तस्दीक किया गया था।विवादित आराजी पर अपीलांट का ही कब्जा चला आ रहा है इसी कारण परीक्षण न्यायालय ने सही आदेश पारित किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास नही कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नही दिया कि मृतक नन्दसिंह आ0 इन्द्रसिंह अपीलांट के पिता है। अपीलांट के पास ही अन्य व्यक्ति पडोसी का भी नाम नन्दसिंह आ0 इन्द्रसिंह था जिसका कभी भी भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा और न उसको पता था कि भूमि किस जगह स्थित है। अपीलांट के पिता नन्दसिंह की मृत्यु के बाद व इन्तकाल तस्दीक होने के बाद नाम का फायदा उठाकर झूंठे तोर पर अपील पेश करदी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वास कर नामा0 खारिज करते हुये नये सिरे से जांच कर इंतकाल खोलने का आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है। रेस्पो0 ने नन्दसिंह नाम होने का फायदा उठाकर जो दस्तावेजात राशनकार्ड पहचान पत्र आदि दस्तावेज पेश किये है जिससे यह साबित नही होता है कि उक्त भूमि रेस्पो0 को आवंटन हुई हो अथवा उसका कोई संबध हो इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को नन्दसिंह का नामा0 अपीलांट के पक्ष मे खोला गया स्वीकार कर अपील को निरस्त करना चाहिये था ऐसा न करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.4.2017 निरस्त किया जावे तथा मृतक नन्दसिंह आ0 इन्द्रसिंह का अपीलांट के पक्ष मे खोला गया नामा0 यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नन्दसिंह को भूमि का आवंटन सन् 1975–76 मे हुआ नन्दसिंह आ0 इन्द्रसिंह की दिनांक 2004 मे हुई उसके पश्चात उनके नाम दर्ज आराजी का फौती नामान्तरकरण सं0 440 दिनांक 27.6.2010 को तस्दीक किया गया जो सही था। नन्दसिंह आ0 इन्द्रसिंह नाम के दो व्यक्ति थे। दूसरे नन्दसिंह की मृत्यु 17.11.2015 को हुई है। रेस्पो0 ने नन्दसिंह नाम होने का फायदा उठाकर जो दस्तावेजात राशनकार्ड पहचान पत्र आदि दस्तावेज पेश किये है जिससे यह साबित नही होता है कि उक्त भूमि रेस्पो0 को आवंटन हुई हो अथवा उसका कोई संबध हो फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के नाम खोले गये नामा0 को निरस्त कर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि अपीलांट का उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा है ऐसी स्थिति मे रेस्पो0 को अपील पेश करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने मे त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश निरस्त किया जाकर नामा0 सं0 440 को यथावत रखा जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे बताया कि रेस्पो0 के पिता नन्दसिंह जीवित थे अपीलांट ने एक ही नाम का लाभ उठाते हुये नामा0 सं0 440 तस्दीक करवा लिया। रेस्पो0 के पिता ने नामा0 सं0 440 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर नामा0 सं0 440 को निरस्त करते हुये प्रकरण रिमांड किया है जो सही है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपील विषयक आराजी दिनांक 25.6.1975 को नंदसिंह पुत्र इन्द्रसिंह को आवंटित होना तथा उक्त व्यक्ति के नाम पर ही गैरखातेदारी दर्ज होना तथा नामा0 सं0 214 से खातेदारी मे दर्ज होने का अंकन है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि एक ही ग्राम के एक ही नाम के दो व्यक्ति है ऐसी स्थिति मे भूमि का वास्तविक हकदार कौन है यह तय किया जाना है। प्रश्नगत प्रकरण मे यह तय नही किया जा सकता कि प्रकरण से संबधित भूमि किस नन्दसिंह पुत्र इन्द्रसिंह को आवंटित हुई थी। परीक्षण

न्यायालय ने राज0 भू राजस्व नियमावली 1957 के नियम 121 के उप नियम 4 की पालना मे आदेश पारित करते समय फरीकेन को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर प्रकियात्मक त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 सं0 440 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को निर्णय मे विवेचित बिन्दू सं0 1 से 4 को दृष्टिगत रखते हुये पक्षकारों को सुनवाई तथा तथ्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर देकर नवीन सिरे से निर्णय पारित करने का जेरअपील निर्णय दिनांक 12.4.2017 पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित होना प्रकट नही होता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश प्रतीत नही होती है। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 24.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा